सं. 7(1)/ई-V/2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के संबंध में।

इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि वेतन एवं भत्तों से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए वसूले गए अंशदान की सेवा पुस्तिका के भाग-VII-ग में प्रत्येक वर्ष प्रविष्टि किए जाने का प्रावधान किया गया है, प्रविष्टियां न होने के कारण अनेक मामलों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की देय राशि के भुगतान में विलम्ब होता है।

2. इस मंत्रालय के 15 मई, 1989 के का. ज्ञा. सं. एफ. 7(5)-ईV/89 में यथा-उल्लिखित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के पैरा 8.1, जो योजना की बचत निधि से संबंधित है, के अनुसार कुल संचित बचत और उस पर ब्याज का भुगतान सेवानिवृत्ति पर या केन्द्र सरकार में उसके नियोजन की समाप्ति पर सदस्य को अथवा सेवाकाल में उसकी मृत्यु पर उसके परिवार को किया जाएगा। बचत निधि के तहत कुल संचित धनराशि की व्यवस्था, इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संगत आदेशों के तहत यथा-निर्धारित किसी वर्ष विशेष के लिए लागू लाभों की सारणी के अनुसार की जाती है।

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा महालेखानियंत्रक के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की मद में बचत निधि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के उद्देश्य से, सभी मामलों में, जहां सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी की सेवा का सत्यापन कर लिया गया हो, प्रत्येक मासिक राशि की कटौती की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बगैर कर्मचारी को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की बचत निधि के तहत संचित धनराशि का भुगतान कर दिया जाए क्योंकि सेवा का सत्यापन, मासिक वेतन भुगतान के आधार पर किया जाता है और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंशदान इन भुगतानों से अनिवार्य कटौती हैं।

4. तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है ताकि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की देय राशि का उचित तत्परता से भुगतान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के तहत भुगतानों के लिए अपनी बजट आवश्यकता अग्रिम रूप से, वरीयत: संशोधित प्राक्कलन/बजट प्राक्कलन के समय सीसीए (वित्त) को भेज दें ताकि वह इस शीर्ष के तहत वास्तविक आधार पर बजट तैयार कर सकें।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ (मानक सूची के अनुसार)।

एनआईसी, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए।